11/21

अभि० प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली बरामद होकर आज पेश हुई। पेशकार सरकार उप० है प्रार्थी का कथन है कि उसने आराजीयात वर्णित खतौनी सं. 313 जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 में खातेदारान कौशल्या पत्नी राधेश्याम, मीनाक्षी, किरण उर्फ रीना पुत्रियां राधेश्याम व आत्माराम पुत्र रामेश्वर ब्राह्मण नि० बनेड़िया चारणान का हिस्सा प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 01/8/2017 को 5/72 हिस्सा खरीद कर कब्जा स्वामित्व प्राप्त किया था जो बाद परिवर्तित जमाबंदी खतौनी सं. 314 सम्वत 2074 से 2077 में प्रार्थी की जाति गुर्जर दर्ज नहीं कर ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है जो सहवन से लिपिकीय त्रुटि हुई है इसलिए प्रार्थी की जाति ब्राह्मण के स्थान पर गुर्जर दर्ज फरमाई जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण, जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 बाके ग्राम बनेड़िया चारणान, फोटो प्रति विक्रय पत्र कौशल्या वगैरा बहक मंगलेल पेश किये।

पेशकार सरकार ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी मय स्वयं की अभिशंषा के साथ पेश की। मिसल शामिल कराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बादगस्त

आराजियात प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 01/8/2017 से क्रय शुदा है। विक्रय पत्र में जाति गूजर ही दर्ज है जबकि जमाबंदी में जाति ब्राह्मण दर्ज है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल, जाति ब्राह्मण के स्थान पर भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल जाति गूजर शुद्धिया जाना उचित है। इसी आशय की अनुशंषा पैरोकार सरकार NT ने की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 01/8/2017 के अनुसार प्रार्थी (क्रेता) की जाति गूजर दर्ज है जिसके अनुसार प्रार्थी की जाति ब्राह्मण के स्थान गूजर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, अभिशंषा पैरोकार सरकार एवं विक्रय पत्र दि० 01/8/2017 के अनुसार आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 314 जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 वाके ग्राम बनेड़िया चारणान में खातेदार भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण के स्थान पर भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल जाति गूजर दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष सभी अंकन बदस्तूर रहेंगे। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जावे। बाद पत्रावली के मल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि० 11/1/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ruby